संख्या-5/2026/49/001-12-5099-43-2025

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-बी०ए०/2036 बजट/2025-2026, दिनांक 13 फरवरी, 2026 एवं पत्रांक-बी०ए०/1825/वित्तीय स्वीकृति 2025-26, दिनांक 09 जनवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग में ई-आफिस के प्रभावी संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना के विभिन्न मानक मदों में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू० 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. उक्त स्वीकृति का व्यय कृषि अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-883/12-2-2021-74/2013, दिनांक 30 मार्च, 2021 एवं कम्प्यूटर क्रय संबंधी समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृषि विभाग में ई-आफिस के प्रभावी संचालन हेतु कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय किये जाने की व्यवस्था कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
2. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि का आहरण न करते हुए आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फैंजिग के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय योजना विषयक निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मद/कार्यों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
6. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
8. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
9. जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति कृषि निदेशक, उ०प्र० व नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
10. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
11. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उ०प्र० का उत्तरदायित्व होगा।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025 /बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025, दिनांक 05 जनवरी, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2401000010300 (कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	49,25,000 (रुपये उनचास लाख पच्चीस हजार मात्र)
2	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
3	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	36,00,000 (रुपये छत्तीस लाख मात्र)
4	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3,38,90,000 (रुपये तीन करोड़ अड़तीस लाख नब्बे हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	72,85,000 (रुपये बहत्तर लाख पचासी हजार मात्र)
	कुल			**5,00,00,000** **(रुपये पाँच करोड़ मात्र)**

महायोग	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-5/2026/49/001-12-5099-43-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।